

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलवी/17/13436

दिनांक :- 13/5/17

उपायुक्त,  
नगर निगम,  
अजमेर।

विषय :- नवनियुक्त फायरमैनो की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच के संबंध में  
मार्गदर्शन यावत्।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक लेखा-संस्था/2193 दिनांक 22.02.2017

उपरोक्त विषयन्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि सचिव आयोग द्वारा फायरमैन पद की शैक्षणिक योग्यता "सैकेण्डरी या उसके समकक्ष अर्हता और केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार या यथा स्थिति, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम छः माह की अवधि का वेसिक एलीमेन्ट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष अर्हता" रखी थी।

नगर निगम में पदस्थापित सभी फायरमैनो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात पाया गया है कि सभी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन है। इस सम्बन्ध में सचिव सेवा चयन आयोग के द्वारा भी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों/शैक्षणिक योग्यता/शारीरिक मापदण्ड का गठित समितियों द्वारा पात्र पाया जाने के पश्चात ही फायरमैनो की चयन सूची जारी की गई थी। चूंकि मान्यता के मापदण्ड निर्धारित नहीं है। श्री नितीन शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण दस्तावेजों की जांच पैन्डिंग रखी गई है। इसलिये संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होने के कारण श्री नितीन शर्मा के अलावा सभी फायरमैनो को नियुक्ति दिये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं हो रही है।

अतः संस्थाओं के रजिस्टर्ड होने से सभी फायरमैनो को नियुक्ति देकर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावे।



(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव